पक्ष हाजिर।

6.8.21 आज पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी के साथ पक्ष हाजिर। प्रार्थी ने अपना दावा पेश कर वकील साहिबान ने आवेदन पत्र खारिज करा लिया है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज की जाकर बाद तामील जरिये पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Radheyshyam Meena
Date: 2022.11.16 16:30:45 IST
Reason: SelfAttested